फा0 सं0 आ0 आ0/दे0दून/तक0/80G/05/2013–14/1083

दिनांक :: 07.05.2013

भारत सरकार
(वित्त मंत्रालय)
कार्यालय आयकर आयुक्त
13–ए, सुभाष रोड, देहरादून

सेवा में,

सुमति फाउंडेशन,
बी–6, औद्योगिक क्षेत्र, बलभद्रपुर,
कोटद्वार।

PAN-AABAS4375C

विषय:– <u>आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अधीन कर मुक्ति प्रमाण पत्र।</u>

उपर्युक्त विषय पर आपकी याचिका जो कि इस कार्यालय में दिनांक 15.04.2013 को प्राप्त हुई के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सुमति फाउंडेशन, बी–6, औद्योगिक क्षेत्र, बलभद्रपुर, कोटद्वार **PAN-AABAS4375C** को दिया गया संदान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर मुक्ति के लिए दिनांक 07.05.2013 से वैध है।

आयकर आयुक्त देहरादून

(डॉ0 एस0 सी अग्रवाल)
आयकर आयुक्त, देहरादून

नोट:–
दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और दिनांक लिखा होना चाहिए और स्पष्ट रूप से यह भी लिखें कि यह प्रमाण पत्र दिनांक 07.05.2013 से वैध है।

2. प्राप्तियों और खर्चो के हिसाब का वार्षिक विवरण आयकर अधिकारी के पास अवश्य प्रस्तुत करें।
3. यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नही कर रही है तो ऐसी स्थिति में सोसायटी/ट्रस्ट को जारी किये गये इस कर मुक्ति प्रमाण पत्र को कभी भी इस कार्यालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
4. ट्रस्ट/सोसायटी आयकर अधिनियम की सभी धाराओं का पालन करने के साथ–साथ यह सुनिश्चित करेगी कि आयकर अधिनियम में उल्लिखित पूर्त प्रयोजन की परिभाषा का उल्लंघन न हो।

सम संख्या और दिनांक

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, हरिद्वार रेंज, हरिद्वार को प्रेषित।
3. आयकर अधिकारी, कोटद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु। यदि कोई न्यास/संस्था अपने जन कल्याण उद्देश्य के विपरीत फ़ण्ड का दुरूपयोग करता है तो उसकी सूचना इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करे।
4. न्यास/संस्था उपरोक्त को सूचनार्थ।

(प्रेम अरोड़ा)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त, देहरादून